प्रेस नोट ***29/11/2024***

थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा AnyDesk एपलिकेशन डाउनलोड कराकर ऑनलाइन रुपयों की धोखधड़ी कर बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ठगी गयी कुल धनराशि 26602 रुपये वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए AnyDesk एपलिकेशन डाउनलोड कराकर ऑनलाइन रुपयों की धोखधड़ी कर बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ठगी गयी । पीडिता प्रांजल गुप्ता पुत्री मनोज कुमार गुप्ता निवासी आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुल 26602 रुपये की कुल धनराशि को पीडिता के खाते में पुनः वापस कराया गया । आवेदक द्वारा मऊ पुलिस को आभार व्यक्त किया गया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर फॉड से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला श्री धर्मेन्द्र सिंह, म0का0 ज्योति थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ ।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 29.11.2024 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कसारा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 315/24 धारा 318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त मो0 अफजल पुत्र नसीम अहमद निवासी दोस्तपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आबकारी अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि व ₹2,000 के अर्थदंड से किया गया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 29-11-2024 को मु0अ0सं0 159/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त सुरेश राजभर पुत्र रामबली राजभर निवासी चकामान उर्फ दरगाह थाना मधुबन मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने की अवधि तक सजा एवं ₹2,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।